STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of recommendations contained in theThirtieth Report of the Depatment-related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) : महोदय, मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदान माँगों (2022-23) के संबंध में विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

REGARDING SEVERAL NOTICES RECEIVED UNDER RULE 267 AND OTHER ISSUES

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I have received seven notices under Rule 267 from Shri Raghav Chadha, Shri Pramod Tiwari, Shri Akhilesh Prasad Singh, Dr. L. Hanumanthaiah, Shrimati Priyanka Chaturvedi, Shrimati Jebi Mather Hisham and Shri Syed Nasir Hussain on subjects related to concern over Government's attempt to interfere in appointment in higher judiciaries; misuse of CBI, ED and other Government agencies; situation arising out of farmers' strike; and subversion of democratic system and threatening of electoral process. You may recall that the hon. Chairman on 8th December, 2022, while considering the notices received under Rule 267 observed that notice submitted under the said Rule has to refer to the relevant rule that is required to be suspended. In none of the notices received today, there is any reflection as to which rule is sought to be suspended. Further, these notices are under the consideration of the hon. Chairman. Therefore, I would request the hon. Members to kindly cooperate and allow the House to proceed with the listed Business. Thank you. *....(Interruptions)...*

SHRI PRAMOD TIWARI (Rajasthan): Sir, ... (Interruptions)...

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have made the situation clear. ...(Interuptions)... Please. ...(Interruptions).. SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. ... (Interruptions)... प्रमोद जी, मैं आपको बुलाऊँगा।

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have a point of order on these Rule 267 notices which seven Members have submitted. The hon. Chairman had requested last time that any Member submitting a notice under Rule 267 should refer to the rule to be suspended. Sir, I have two points to make for your consideration. Number one, I have a list here of the last three Rule 267 notices accepted by the hon. Chairman. The three are, demonetisation on the 16th of November, 2016; —in the last six years, there has been none -- the farmers' suicide in April, 2015, that is the second last one; and the third last one is attack on secular fabric of our country, 18th of December, 2014.The precedence of these last three Rule 267 notices is that none of them needed to link it with a rule, none of them. I have two points only. They were supposed to say why these three are important issues. These three were taken up. My second point is, since the hon. Chairman has been asking, I have also done some study and I want to share it with the House, what the rule is, the common rule for accepting any Rule 267 notice is Rule 29. Sir, kindly look at Rule 29, which is about the List of Business. The Rule clearly states that. What all these Members are asking the Chairman to do is to apply Rule 29, which gives him the prerogative to change this List of Business. In other words, drop the Zero Hour and bring up these subjects. So, what is the issue, Sir? Please clarify and let us know. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. प्रमोद जी, आप बोलिए।

श्री प्रमोद तिवारीः सर, मैं अपनी बात रखने के लिए सबसे पहले नियम 267 पढ़ देता हूँ। ...(व्यवधान)... Can I read, Sir?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

श्री प्रमोद तिवारीः "कोई सदस्य, सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव कर सकेगा कि(व्यवधान)...

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव) : सभापति की सहमति से ...(व्यवधान)... श्री प्रमोद तिवारी : मैं कहाँ कह रहा हूँ? सर, मेरा तो अनुरोध है! ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, आप बोलें।

श्री प्रमोद तिवारी : "कोई सदस्य, सभापति की सहमति से, यह प्रस्ताव कर सकेगा कि उस दिन राज्य सभा के समक्ष सूचीबद्ध कार्य से संबंधित किसी प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाए और यदि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि यह नियम उस मामले में लागू नहीं होगा जहाँ नियमों के विशेष अध्याय के अधीन किसी नियम के निलम्बन के लिए पहले ही कोई विशिष्ट उपबंध किया गया हो।" यहाँ वह लागू नहीं होता।

सर, मैंने जो नोटिस दिया है, उसके विषय पर मैं नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ यह कहूँगा कि हमने सभापति जी को सम्बोधित करते हुए क्या प्रार्थना की है। अतः आज सदन के समक्ष... सर, इसमें अगला शब्द महत्वपूर्ण है। अतः आज सदन के समक्ष सूचीबद्ध कार्य निलम्बित करके लोक महत्व के इस प्रकरण पर सदन में चर्चा की जाए।

श्री उपसभापति : प्रमोद तिवारी जी, धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, let me finish. I am finishing. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज़ हो रहा है। ..(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no; you have made your point. प्रमोद जी, आपने अपनी बात रख दी है।...(व्यवधान)... प्रियंका चतुर्वेदी जी, आप अपनी बात बोलिए।...(व्यवधान)...

SHRIYMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, all I would like to submit is, my humble submission on this issue is, Rule 267 directs us to request the Chairman that there is a matter of urgent importance which needs to be brought to the notice and discussed on the floor of the House. Like I have been continuously saying, we are a Council of States, we represent our States, and there are issues that concern. Now, whether the one quoted by Derekji, Rule No. 29, or whether I look at Rule 37, it is at the discretion of the Chairman. Sir, none of the Rule suggests that we need to quote another rule and under which this discussion can happen. So, if the new rules are being made, Sir, every Member of Parliament should be made aware of it. Sir, we need to have this discussion. Records are showing that; Unstarred Questions are showing that; and we are not making stories or cooking up stories like our hon. Leader of the House said the other day. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: These are proven things. We need to discuss this, Sir. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)...No. No. ...(Interruptions)...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PIYUSH GOYAL): Hon. Deputy Chairman, the hon. Member of Parliament who has made this allegation, and I think it is a matter of privilege that she has cast aspersions that somebody is cooking up stories. The fact of the matter is, the hon. Member, had, in the House, alleged a certain number of political actions, which was entirely wrong, erroneous and without any basis whatsoever. He has outside the House cast aspersions on me. He has made comments on a social media platform taking recourse to something that another hon. Member of Parliament had received as a reply, which are not related at all. That reply was on total actions. This was about political actions. I would urge the Chair to kindly examine the record and hold the relevant Members responsible for their erroneous statements. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)... No, no. ...(Interruptions)... प्रियंका जी, प्लीज़ आपस में बातचीत न करें। ...(व्यवधान)... No; I am not allowing. ...(Interruptions)... प्रमोद तिवारी जी, आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जा चुका है। ...(व्यवधान)... यह सही नहीं है। ...(व्यवधान)... प्रियंका जी, आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... माननीय भूपेन्द्र यादव जी, केवल आपकी बात रिकॉर्ड पर जाएगी।...(व्यवधान)...

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय उपसभापति महोदय, सदन की प्रक्रिया में सदस्यों को अधिकार होता है कि वे अपना नियम रूल बुक्स के अंतर्गत उठाएं, लेकिन जब भी कोई रूल उठाया जाता है, उसके बाद चेयरमैन साहब का जो डिसीज़न होता है, वह रूल 258 के अंतर्गत डिसीज़न लिया जाता है, उसका जो सेक्शन 2 लिखा है, उसमें लिखा है कि वह फाइनल है। जब सदन में यह व्याख्या हो गई है कि 267 का नोटिस किस तरह से दिया जाएगा, तो जो नोटिस उस डिसीज़न के अभाव में दिए जा रहे हैं, वे उस रूल को न मान कर दिए जा रहे हैं, ऐसे में वे नोटिस अपने आप में ही शून्य हैं, वे नोटिस ही नहीं हैं, तो बिना नोटिस दिए, शून्य नोटिस दिए सदन का काम कैसे भंग कर सकते हैं? ...(व्यवधान)... श्री उपसभापति : प्लीज़, माननीय सदस्यगण, ...(व्यवधान)... नासिर जी, प्रमोद तिवारी जी बोल चूके हैं। प्लीज़...(व्यवधान)... माननीय सदस्यगण, माननीय देरेक ओब्राईन जी, प्रमोद तिवारी जी और प्रियंका चतूर्वेदी जी ने अपनी-अपनी बात रूल 267 पर रखी। मैं एक बार रूल पढ़कर सिचुएशन क्लियर करना चाहता हूं। "Any Member may with the consent of the Chairman "... With the consent of the Chairman". माननीय देरेक ओब्राईन जी, आपने जो भी तीन क्वोट्स बताए कि तीन बार इन चीज़ों पर डिस्कशन हो चुका है, तो डेफिनेट्ली उस वक्त माननीय चेयरमैन का कन्सेंट रहा होगा। मैंने क्लियर किया कि इन इश्यूज़ पर माननीय चेयरमैन का कन्सेंट नहीं है, इसलिए इन इश्यूज़ पर बहस नहीं हो सकती है। मैंने यह भी क्लियर किया है। माननीय सदस्यगण, मैं यह बताना चाहूंगा कि माननीय चेयरमैन ने अभी 8 दिसम्बर को इस रूल के बारे में क्या कहा। आप जानते हैं कि माननीय चेयरमैन ने जो भी लेटेस्ट कहा है that will be relevant for us. ...(Interruptions)... I have clarified(Interruptions)... What he has told, again, I am repeating. ... (Interruptions)... You may recall that hon. Chairman on 8th December, 2022, while considering the notices received under Rule 267 has observed that the notice submitted under the said Rule has to refer to relevant Rule/Rules that is required to be suspended. ... (Interruptions)... In none of the notices received today by these Members, there is any reference as to which rule is sought to be suspended. ... (Interruptions)... It is clear... ... (Interruptions)... श्री बिलप्ब कृमार देव। ...(व्यवधान)... जो इश्यूज़ लिस्टेड हैं, मैं उन पर ही जाऊंगा। It's the Zero Hour. बिलप्ब जी, आप अपने विषय पर बोलें। ...(व्यवधान)... It is Zero Hour. ...(Interruptions)...

श्री बिलप्ब कुमार देब (त्रिपुरा): सर, बिहार में ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः श्री संदोष कुमार पी, प्लीज़, आप बोलें। ...(व्यवधान)... प्लीज़, आप बोलें। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्यगण, यह ज़ीरो ऑवर है, कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। जो सब्जेक्ट लिस्टेड है, मैं उस पर ही इजाज़त दे सकता हूं।...(व्यवधान)... Please take your seats. ...(Interruptions)... Shri Sandosh Kumar P. ...(Interruptions)... माननीय सदस्यगण, मैं ज़ीरो ऑवर के लिए आप सभी का नाम बुला रहा हूं।...(व्यवधान)... आप अपनी जगह पर बैठें और हाउस को चलने दें।...(व्यवधान)... ज़ीरो ऑवर बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आप सबको बोलने का मौका मिला है। Please take your seats. ...(Interruptions)... बिलप्ब जी, आप अपने विषय पर बोलेंगे? ...(व्यवधान)... Please speak; you may speak on your subject -- 'Need to reopen border-haat on Tripura-Bangladesh border'. ...(Interruptions)...

श्री बिलप्ब कुमार देब : सर, पहले बिहार के बारे में सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : जो इश्यूज़ लिस्टेड हैं, मैं उन पर बात कर रहा हूं।...(व्यवधान)...

श्री बिलप्ब कुमार देब : बहुत बड़ी मात्रा में लोग...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : जो इश्यूज़ लिस्टेड हैं, मैं उन पर बात कर रहा हूं।...(व्यवधान)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I have a point of order. ... (Interruptions)...

श्री उपसभापति : इस डिसऑर्डर में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर कहां से उठा सकते हैं!...(व्यवधान)... Please take your seats. ...(Interruptions)... माननीय सदस्यगण, आप यह बात जानते हैं कि जो चीज़ें लिस्टेड हैं, उन पर ही बहस हो सकती है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अपनी-अपनी जगह बैठें। यह ज़ीरो ऑवर महत्वपूर्ण विषय है और इसमें सभी को मौका मिला है, तो कृपया आप हाउस चलने दीजिए। ...(व्यवधान)... श्री बिलप्ब कुमार देब...(व्यवधान)...You may speak only on the subject. ...(Interruptions)...

श्री बिलप्ब कुमार देब : सर, मैं अपने विषय के बारे में बोलूंगा, लेकिन आप एक बार बिहार के बारे में सुन लीजिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : राज्य सभा की कार्य सूची में जो चीज़ें लिस्टेड हैं, उन पर ही बहस हो सकती है।..(व्यवधान)... सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at eighteen minutes past eleven of the clock.

The House reassembled after thirty-three minutes past eleven of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Zero Hour *...(Interruptions)...* Please *...(Interruptions)...* माननीय बिप्लब देब जी, आपका इस विषय पर स्पेशल मेंशन है। ...(व्यवधान)... प्लीज़, आप बोलिए। Your subject is, 'Need to reopen border-*haat* on Tripura-Bangladesh border.' ...(Interruptions)...

श्री बिप्लब कुमार देब : सर, एक बार बिहार के बारे में सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, जो इश्यू सामने है, आप उस पर बोलिए। ...(व्यवधान)...माननीय संदोष कुमार पी। ...(व्यवधान)... Your subject is, 'Need to reinstate concession to senior citizens in Railways.' ...(Interruptions)... Please speak on the subject. ...(Interruptions)... प्लीज़, अपनी सीट्स पर बैठें। ...(व्यवधान)... ज़ीरो ऑवर चलने दें। ये सदस्यों के विषय हैं। प्लीज़, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी सीट्स पर बैठ जाएं। ...(व्यवधान)... प्लीज़ ज़ीरो ऑवर चलने दीजिए। ...(व्यवधान)... प्लीज़, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप ज़ीरो ऑवर को चलने दें। ...(व्यवधान)... ज़ीरो ऑवर में माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं। ...(व्यवधान)...प्लीज़, हाउस को चलने दें। ...(व्यवधान)... मेरा आप सबसे आग्रह है कि ज़ीरो ऑवर को चलने दें। ...(व्यवधान)... सदन की कार्यवाही पुन: 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। ...(व्यवधान)...

The House then adjourned at thirty-five minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at fifty minutes past eleven of the clock, [THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) in the Chair.]

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Zero Hour. Shri Biplab Kumar Deb. ... (Interruptions)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, बिहार में जो घटना घटी है, ..(व्यवधान).. उसके लिए वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। ..(व्यवधान)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Hon. Members, Zero Hour is your right. ...(Interruptions)... Let hon. Member raise his issue. ...(Interruptions)...

श्री बिप्लव कुमार देबः माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ..(व्यवधान)... आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार में ..(व्यवधान)..इस तरह से 40 लोग मार दिए गए हैं। ..(व्यवधान)..इस पर चर्चा होनी चाहिए। ..(व्यवधान)..यह विषय जनता के सामने आना चाहिए। ..(व्यवधान).. माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार में 40 लोगों की मौत हो गई है। ..(व्यवधान)..इस विषय को लेकर हाउस में चर्चा होनी चाहिए..(व्यवधान)..यह विषय सामने आना चाहिए। ..(व्यवधान)..इस पिय को लेकर हाउस में चर्चा होनी चाहिए..(व्यवधान)..यह विषय सामने आना

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Deb, your subject is different. आपका जो सब्जेक्ट है - 'Need to reopen border-haat on Tripura-Bangladesh border. ...(Interruptions)... ये आपका सब्जेक्ट है। ..(व्यवधान)... Your subject is different.